न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम.नम्बर 2022/306

1. उमेश सिंह पुत्र जयपाल सिंह
2. नवल किशोर पुत्र जयपाल सिंह निवासीयान ग्राम–दोसोद, तहसील–नीमराना जिला अलवर–राजस्थान ।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा–76 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 03–06–2022 जो न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर ने अपील संख्या–12/132/2019 (2019/00263) शीर्षक अपील उमेश सिंह व एक अन्य बनाम सरकार में पारित किया और अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया, विरूद्व निर्णय दिनांक 11–09–2017 जो न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील नीमराना जिला अलवर ने प्रकरण संख्या – 06/2017 शीर्षक सरकार बनाम उमेश सिंह व एक अन्य में पारित किया और अप्रार्थीगण को पुनः अतिक्रमी घोषित करते हुए उन्हे तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया और शास्ति 124/– रूपया आरोपित की तथा मौके से उन्हे बेदखल किए जाने की आज्ञा भी प्रदान की ।

उपस्थित–

1. श्री धर्मेन्द्र भाटी वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल

निर्णय

दिनांक–05.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलेक्टर अलवर के आदेश दिनांक 03.06.2022 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि अपीलांट उमेश सिंह पुत्र जयपाल सिंह जाति राजपूत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जयपुरके समक्ष वाके ग्राम दौसोद तहसील नीमराना जिला अलवर में स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 1524 रकबा 0.19 एवं 1418/1982 रकबा 0.10 भूमि पर नायब तहसीलदार नीमराना द्वारा अतिकमण मानते हुये अतिकमी को मौके से बेदखल करने, सजा एवं पैनल्टी के संबध में दिये गये आदेश को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की। जिस पर अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त

न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार नीमराना के निर्णय को विधि अनुरूप मानते हुये अपील खारिज किये जानेके आदेश दिनांक 03.06.2022 को दिये गये।

3. जिला कलक्टर अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 03.06.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट उमेश सिंह पुत्र जयपाल सिंह वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर अलवरके निर्णय दिनांक 03.06.2022 एव नायब तहसीलदार के निर्णय दिनांक 11.09.2017 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया।अपीलांट के योग्य अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया किनायब तहसीलदार नीमराना ने अपीलार्थीगण को बिना सुने ही उन्हे अपना पक्ष रखे जाने के अवसर प्रदान किए बिना ही अपीलगत निर्णय दिनांक 11–09–2017 पारित किया जो कि स्पष्टतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना है। नायब तहसीलदार, नीमराना के समक्ष हलका पटवारी के कथन लेखबद्ध किए गए है किंतु हल्का पटवारी के कथनों में एक भी दस्तावेज प्रदर्श अंकित नही हुआ । हलका पटवारी की मौखिक साक्ष्य पर ही आक्षेपित निर्णय आधारित है फिर भी अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मानते हुए धारा– 91 भू राजस्व अधिनियम के कठोरतम प्रावधानों का प्रयोग करके तीन माह के कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है। पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत होकर प्रदर्श अंकित नही हुआ है जिससे कि अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिकमी माना जावे। उनकी पूर्व में बेदखली की गई हो ऐसा कोई तथ्य दस्तावेज रूप में प्रमाणित नही हुआ है ।अपीलार्थीगण के द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15–05–2022 को कृषि भूमि खसरा नंबर –1418 रकबा 43 ऐयर खातेदार रामोतार सिंह से क्रय की थी और उनका इस विक्रय के पश्चात से ही शांतिपूर्ण कब्जा काश्त वहां है। विद्वान नायब तहसीलदार नीमराना ने अपने नोटिस धारा– 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 में अपीलार्थीगण को संवत 2074 में खसरा नंबर – 1524 व 1418/1980 के क्षेत्रफल 0.29 हैक्टेयर पर अंतिकमी होने का वर्णन किया है जबकि भूमि खसरा नंबर 1418 क्षेत्रफल 0.43 हैक्टेयर अपीलार्थीगण की कयशुदा भूमि है । इतने क्षेत्रफल पर उन्हे अतिक्रमी नही माना जा सकता है। इस प्रकार वर्णित खसरा नंबर 1418 पर अधिकारपूर्ण आधिपत्य है । अपीलार्थीगण को नायब तहसीलदार नीमराना की न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया तब उन्होने अपने बचाव के दस्तावेजात विद्वान जिला कलेक्टर, अलवर के न्यायालय के आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किए किंतु विद्वान अपीलीय न्यायालय ने दस्तावेजों पर दृष्टिपात तक नही किया है क्योंकि अपीलीय न्यायालय को उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन, मनन करना आवश्यक था और उनको ना मानने के विषय में अपीलीय निर्णय में कारण बताये जाने थे। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज व समग्र सामग्री का अवलोकन किए बिना एवं उक्त तथ्यो को भी बिना समझे ही अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने में अहम कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर अलवर निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि नायब तहसीलदार नीमराना द्वारा पटवारी हल्का दौसोद की रिपोर्ट अनुसार एवं गिरदावार की जॉच रिपोर्ट के आधार पर ही प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर भू राजस्व अधिनियम की धारा–91 के तहत् विधिअनुरूप कार्यवाही की है एवं अपीलांट नोटिस तामिल बाद अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के समक्ष

संभागीय आयुक्त
जयपुर

मिथ्या तथ्यों के आधार परअपील पेश की गई एवं स्वयं ने विवादित भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया है ऐसी दशा में अपील निरस्त कर दी गई जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि उक्त मूल विवाद ग्राम दौसोद तहसील नीमराना की किस्म बारानी भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1524 रकबा 0.19 एवं 1418/1982 रकबा 0.10 पर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर है। नायब तहसीलदार नीमराना द्वारा पटवारी हल्का दौसोद की रिपोर्ट अनुसार एवं गिरदावार की जॉच रिपोर्ट के आधार पर ही प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर भू राजस्व अधिनियम की धारा–91 के तहत् विधिअनुरूप कार्यवाही की है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा अपील में विवादित आराजी पर बुजुर्गाना जमाने से कब्जा होना माना गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने के आदेश दिये गये है। जो कि उचित एवं विधिसम्मत् हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर अलवरके निर्णय दिनांक 03.06.2022 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं तथा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर का निर्णय दिनांक 03.06.2022 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर